I/3277/2023

**उल्लंघन पत्र / ईमेल द्वारा**

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
कार्यालय क्षेत्रीय खान नियंत्रक, जबलपुर

संख्या. – MCDR-MiFL0LST/60/2022-JBP-IBM_RO_JBP जबलपुर, दिनांक: 18.01.2023

सेवा में,

**श्रीमती रत्ना सिंह**
**पत्नी श्री सुधीर सिंह तोमर,**
**कृष्णानगर, सतना- 485001,**
**ईमेल- rajstonecrusher15@gmail.com**

विषय: मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में आपकी आबेर चूनापत्थर खान (17.408 हेक्टेयर), माइन कोड - 38MPR35284 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

दिनांक 22.12.2022 को इस कार्यालय के सहायक खनन अभियंता, श्री अभिषेक रंजन गौतम द्वारा, श्री सुधीर सिंह तोमर, पट्टाधारी प्रतिनिधि एवम श्री आशीष मिश्रा, खनन अभियंता की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एम सी डी आर), 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| नियम स. | पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति |
|---|---|
| नियम 11 (1) | खनन पट्टे के अंतर्गत खनन परिचालन.- (1) खनन पट्टे का कोई भी धारक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित, संशोधित या पुनर्विलोकित या राज्य सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में स्थापित प्रणाली के अनुसार तैयार और अनुमोदित की गई खनन योजना के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में कोई खनन संक्रिया आरंभ या परिचालित नहीं करेगा।<br>उक्त खदान की खनन योजना का पुनर्विलोकन को इस कार्यालय के पत्रांक- MP/SATNA/LIMESTONE/RMP-13/2020-21 दिनांक 28.10.2020 द्वारा अनुमोदित की गई, जिसमें वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कार्य करने के प्रस्ताव शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान एम सी डी आर 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है..<br>1. **अनुमोदित खनन योजना मे वर्ष 2020-21 में 16 नग बोर होल्स का प्रस्ताव था। परन्तु खदान में सिर्फ 11 नग बोर होल्स अन्वेषण का कार्य ही किया गया।**<br>2. **अनुमोदित खनन योजना मे वर्ष 2021-22 में 388845 टन चूना पत्थर उत्पादन एवं 103692 $M^3$ ओवर बर्डन हटाने का प्रस्ताव था। जबकि वर्ष के दौरान केवल 222820 टन चूना पत्थर का उत्पादन किया गया तथा 59270 $M^3$ ओवर बर्डन हटाया गया। अर्थात; विकास कार्य के साथ-साथ उत्पादन में भी कमी पायी गई है।**<br>3. **नियमानुसार खदान की सीमा पर खम्भो (बाउंड्री पिलर) का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है।**<br>4. **खदान में प्रस्तावित 7.5 मीटर क्षेत्र में पुनर्भरण का कार्य भी नहीं किया गया है।** |
| नियम 27 (2) | एमसीडीआर 2017 को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03/11/2021 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें 'ए' श्रेणी |

| | |
|---|---|
| | की खानों के मामले में खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र के वित्तीय आश्वासन की दर को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। उक्तानुसार कृपया रु 33,51,440/- रुपये का अतिरिक्त वित्तीय आश्वासन (रु 50,27,160/- पहले ही जमा कर दिया गया है) अतिशीघ्र जमा करने की आवश्यकता है। |
| नियम 34ए(2) | **34 ए.** खनन पट्टा क्षेत्र की डिजिटल एरियल इमेज.— (1) प्रत्येक पट्टेदार के पास— (ए) किसी विशेष वर्ष में एक मिलियन टन या उससे अधिक की वार्षिक उत्खनन योजना; या<br>**(बी)** पचास हेक्टेयर या अधिक का पट्टा क्षेत्र,<br>हर साल अप्रैल या मई के महीने में पट्टे की सीमा के बाहर और पट्टे की सीमा के बाहर सौ मीटर तक ड्रोन सर्वेक्षण करेगा और इस तरह के सर्वेक्षण या किसी अन्य से प्राप्त संसाधित आउटपुट [डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) और ऑर्थोमोसिक] चित्र प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले दिन या उससे पहले महानियंत्रक को इस संबंध में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।<br>(2) प्रत्येक पट्टेदार, उप-नियम (1) के अंतर्गत आने वाले के अलावा, अप्रैल के महीने में लिए गए पट्टे के क्षेत्र और पट्टे की सीमा के बाहर सौ मीटर तक के उच्च विभेदन भू-संदर्भित ऑर्थो-रेक्टिफाइड मल्टीस्पेक्ट्रल उपग्रह चित्रों की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वर्ष के जून तक, उस वर्ष के जुलाई के पहले दिन या उससे पहले महानियंत्रक को जियो टीआईएफएफ जैसे मानक प्रारूपों में मेटाडेटा या किसी अन्य प्रारूप के साथ भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है:<br>**आपने एम सी डी आर 2017 के नियम 34ए (2) के तहत भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (सॉप) के अनुसार डिजिटल सैटेलाइट चित्र जमा नहीं किया गया है।** |

02. इस संबंध में यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त उल्लंघन एम सी डी आर-2017 के नियम 62 के तहत दंडनीय अपराध है।

03. एम सी डी आर-2017 के नियम 11(1) का पालन न करने पर एम सी डी आर-2017 के नियम 11(2) के प्रावधानों के तहत खनन संक्रिया को निलंबित किया जा सकता है।

04. आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों को तुरंत सुधारें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय,

(संजय एम गिरहे)
क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

<u>प्रतिलिपि प्रेषित (ईमेल):</u>

01. संचालक, भौमिकी एवम खनिकर्म, मध्य प्रदेश सरकार, खनिज भवन, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु.

02. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

03. जिलाधीश, जिला - सतना (म.प्र.) सूचनार्थ ।

(संजय एम गिरहे)
क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो